

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.05.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना छपिया ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लक्ष्मण पुत्र सन्तराम सोनकर निवासी पिपरा भितौरा थाना मोतीगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-106/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. भीमसेन पुत्र बच्चाराम निवासी ग्राम दुमचीपुर मौजा मंगलनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-100/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.06.2022

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त उमेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. उमेश पुत्र निब्वर निवासी ग्राम बोटनपुरवा मौजा असरना थाना कटरा बाजार गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-173/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता-

01. का0 विनित कुमार मय टीम।

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 03.06.2022

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मुन्ना पुत्र मज्जू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०देहात में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुन्ना पुत्र मज्जू निवासी ग्राम टिकरिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-205/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को०देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ०नि० विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.06.2022

‘मिशन शक्ति’ के तहत लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोडारे पुलिस ने मु0अ0सं0-73/2022 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनीष कुमार को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना खोडारे क्षेत्र की रहने वाली नबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना खोडारें में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मनीष कुमार पुत्र कल्लू पासवान निवासी हाजीडीह शाहूकोठी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-73/2022 धारा 363,366 भादवि थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 अरूण कुमार राय मय टीम।